



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 25]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 20, 2014/पौष 30, 1935

No. 25]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 20, 2014/PAUSHA 30, 1935

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 2014

**सा.का.नि. 32 (अ).**—केन्द्रीय सरकार, चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) की धारा 28घ की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 29क की उपधारा (2) के खंड (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चार्टर्ड अकाउंटेंट क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड की प्रक्रिया और बोर्ड के अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें तथा भत्ते नियम, 2006 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम चार्टर्ड अकाउंटेंट क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड की प्रक्रिया और बोर्ड के अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें तथा भत्ते (संशोधन) नियम, 2014 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

**2. चार्टर्ड अकाउंटेंट क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड की प्रक्रिया और बोर्ड के अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें तथा भत्ते नियम, 2006 के नियम 9 के उप नियम (2) में खंड (i) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात् :—**

“(i) बोर्ड के अध्यक्ष और अन्य सदस्य जो सरकारी सेवक नहीं हैं, जब वे विदेश दौरे पर हों, उन्हीं दरों पर जो संयुक्त सचिव भारत सरकार को अनुज्ञेय है, वासा व्यय, यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता और अन्य भत्ते की प्रतिपूर्ति के पात्र होंगे।”।

[फा. सं. 12/50/2006-पीआई]

मनोज कुमार, संयुक्त सचिव

**टिप्पण :**—मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 735(अ), तारीख 27 नवंबर, 2006 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 152(अ), तारीख 5 मार्च, 2009 द्वारा संशोधित किए गए।

**MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th January, 2014

**G.S.R. 32(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (g) of sub-section (2) of section 29A read with sub-section (1) of section 28D of the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Chartered Accountants Procedures of Meetings of Quality Review Board, and Terms and Conditions of Services and allowances of the Chairperson and members of the Board Rules, 2006, namely:—

**1. Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Chartered Accountants Procedures of Meetings of Quality Review Board, and Terms and Conditions of Service and allowances of the Chairperson and members of the Board (Amendment) Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Chartered Accountants Procedures of Meetings of Quality Review Board, and Terms and Conditions of Service and allowances of the Chairperson and members of the Board Rules, 2006, in rule 9, in sub-rule (2), after clause (i), the following clause shall be inserted namely:—

“(ia) The Chairperson and other members of the Board who are not Government servants while on tour abroad shall be entitled for reimbursement of lodging expenses, travelling allowance, daily allowance and other allowances at the same rates as are admissible to a Joint Secretary to the Government of India.”.

[F. No. 12/50/2006-PI]

MANOJ KUMAR, Jt. Secy.

**Note :—**The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 735 (E), dated the 27th November, 2006 and subsequently amended *vide* notification number G.S.R. 152 (E), dated the 5th March, 2009.